न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 65/2019 दायर दिनांक 26.11.2019

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पि. मनोहरलाल जाति भील नि. सुनेल तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. बगदूराम पि. बाला जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
2. रामलाल पि. बाला जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
3. विष्णु पि. बनेसिंह जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
4. मंजुबाई पुत्री बनेसिंह जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
5. शांतिबाई बेवा बनेसिंह जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
6. अंकित नावालिग दत्तक पुत्र नन्दराम संरक्षक पि. धन्नालाल जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री अशोक पाटीदार

वकील प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 – श्री कालूराम मेघवाल

निर्णय दिनांक 18.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अर्न्तगत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम सामरिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 155 के ख.नं. 312 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2023 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार अनुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काष्तकारी (सरकारी) नियमों के प[illegible] वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये [illegible] निर्णय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पालना में नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2025/20 दिनांक 10.01.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2023 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम सामरिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 3 के ख.नं. 312 रकबा 1.1002 है. भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं व कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :–

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	राजेन्द्र कुमार पि. मनोहरलाल जाति भील नि. सुनेल रहन JKSB सुनेल	312	0.5501	माल प्रथम
2	अंकित नाबालिग दत्तक पुत्र नन्दराम संरक्षक माता हि. 1/3 पंकज कुमार पि. बनेसिंह हि. 1/12 बगदूराम पि. बाला हि. 1/3 विष्णु पि. बनेसिंह हि. 1/12 मंजुबाई पि. बनेसिंह हि. 1/12 शांतिबाई बेवा बनेसिंह हि. 1/12 जाति भील नि. सामरिया	312	0.5501	माल प्रथम

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी गंगधार
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 65 / 2019 दायर दिनांक 26.11.2019

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार पि. मनोहरलाल जाति भील नि. सुनेल तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. बगदूराम पि. बाला जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
2. रामलाल पि. बाला जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
3. विष्णु पि. बनेसिंह जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
4. मंजुबाई पुत्री बनेसिंह जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
5. शांतिबाई बेवा बनेसिंह जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
6. अंकित नाबालिग दत्तक पुत्र नन्दराम संरक्षक पि. धन्नालाल जाति भील नि. सामरिया तहसील सुनेल
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री अशोक पाटीदार

वकील प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 – श्री कालूराम मेघवाल

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..............................मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि – इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2023 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम सामरिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 3 के ख.नं. 312 रकबा 1.1002 है. भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर काश्त अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	राजेन्द्र कुमार पि. मनोहरलाल जाति भील नि. सुनेल रहन JKSB सुनेल	312	0.5501	माल प्रथम
2	अंकित नाबालिग दत्तक पुत्र नन्दराम संरक्षक माता हि. 1/3 पंकज कुमार पि. बनेसिंह हि. 1/12 बगदूराम पि. बाला हि. 1/3 विष्णु पि. बनेसिंह हि. 1/12 मंजुबाई पि. बनेसिंह हि. 1/12 शांतिबाई बेवा बनेसिंह हि. 1/12 जाति भील नि. सामरिया	312	0.5501	माल प्रथम

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०।

निज ....X.............. मुबालिक ....X............ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह ......X............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०।

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:36:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner